बिहार सरकार,
लघु जल संसाधन विभाग।

पत्रांक– 1702(मो०) पटना, दिनांक 09/9/2019

प्रेषक,

के0 के0 पाठक,
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, बक्सर।

विषय– 'जल–जीवन–हरियाली' के तहत आपके द्वारा उदासीनता बरतने के सम्बन्ध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर सतही जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया गया है, जिसे 'जल–जीवन–हरियाली अभियान' के नाम से जाना जाता है। विभाग का यह प्रयास था कि हर जिले के हर प्रखंड से 2 (दो) योजनाएँ इस हेतु ली जाए, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को किया जाएगा। इस क्रम में सूचित करना है कि बक्सर जिले से मात्र 5 प्रखंडों से ही 11 योजनाएं निविदा हेतु प्राप्त हो पायी है, जबकि बक्सर जिला न सिर्फ सूखाग्रस्त क्षेत्र है, अपितु उसमें 11 प्रखंड हैं। इस अनुसार आपको कम से कम 22 योजनाओं का प्रस्ताव निविदा हेतु ससमय भेजना चाहिए था। किन्तु आपने निविदा हेतु प्रस्ताव भेजने की तय सीमा (दिनांक 7 सितम्बर 2019) तक केवल 11 योजनाओं का प्रस्ताव निविदा हेतु भेजा। जिससे बक्सर में काफी कम योजनाओं का निविदा निकाली जा सकी।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर कारण–पृच्छा दें कि क्यों नहीं उक्त कोताही के चलते एवं जल–जीवन–हरियाली अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उदासीनता बरतने के कारण आप पर विभागीय कार्यवाही चलायी जाए और उचित दंड दिया जाय।

विश्वासभाजन

(के०के० पाठक)
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांकः– 1702(मो०) पटना, दिनांकः– 09/9/2019

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, लघु जल संसोधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता लघ सिंचाई अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 1702(मो०) पटना, दिनांकः– 09/9/2019

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, श्री प्रकाश एवं श्री मीणा /अधीक्षण अभियंता (मो०), लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 1702(मो०) पटना, दिनांकः– 09/9/2019

प्रतिलिपि– उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया सुनिश्चित करें कि एक सप्ताह के भीतर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बक्सर से कारण पृच्छा प्राप्त कर संचिका में उपस्थापित किया जाय।

प्रधान सचिव